भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3319

12.07.2019 को उत्तर के लिए

वनग्राम

3319. श्री कनकमल कटारा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सहित देश के वनग्रामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किसी गांव को वनग्राम के रूप में मान्यता देने संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त वनग्रामों में सरकार द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) संबंधित राज्य सरकारों और जनजाति कार्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार देश के वनों में वन ग्रामों और कोर/महत्वपूर्ण बाघ वास-स्थलों के भीतर ग्रामों की राजस्थान सहित राज्यवार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार ''वन ग्राम'' से तात्पर्य उस व्यवस्थापन से है, जिन्हें वानिकी संबंधित कार्यों हेतु किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र के भीतर स्थापित किया गया है अथवा जिन्हें वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन ग्रामों में परिवर्तित किया गया था और जिनमें वन व्यवस्थापन ग्राम, नियत मांग जोत (होल्डिंग्स), ऐसे ग्रामों के लिए किसी भी नाम द्वारा संबोधित सभी प्रकार के *टौंग्या* व्यवस्थापनाएं शामिल हैं और सरकार द्वारा अनुमत किए गए कृषि और अन्य उपयोगों हेतु भूमि शामिल है।

अत: वन ग्राम वह क्षेत्र है, जहां विगत में वन विभाग द्वारा लोगों को बसाया गया था और वानिकी संबंधी कार्यों को करने के लिए व्यक्ति उपलब्ध करने के उद्देश्य से कृषि और आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि आबंटित की गई थी।

(ग) और (घ) संबंधित अनुरूप विभागों और राज्य सरकार के संबंधित वन विभाग द्वारा वन स्थापन ग्रामों में सड़क, पेयजल, स्कूल, विद्युतीकरण, स्वच्छता कार्य आदि जैसे विकास कार्य किए जाते हैं। ऐसे ब्यौरों का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में समेकन नहीं किया जाता है। तथापि, बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत विभिन्न कार्यकलापों, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* अवैध शिकार-रोधी उपाय, वास-स्थल का विकास, कर्मचारियों

के लिए कल्याणकारी कार्य, पारि-विकास आदि शामिल हैं, हेतु बाघ रिजर्वों को उनके वार्षिक कार्य प्रचालन के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक रूप से ग्राम की पुन:अवस्थापना करना भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत यथा अधिदेशित किसी बाघ रिजर्व के कोर/महत्वपूर्ण बाघ वास-स्थल को अलंघनीय बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत जारी की गई/उपयोग मे लाई गई निधियों का राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जनजाति कार्य मंत्रालय ने वन ग्रामों के निवासियों के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में वृद्धि करने की दृष्टि से और 2,474 वन ग्रामों/बस्तियों जिन्हें देश में छत्तीसगढ़ सहित बारह राज्यों में विस्तारित स्कीम के तहत शामिल किया गया है, में मूलभूत सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए वन ग्रामों का एकीकृत विकास करने हेतु एक-मुश्त उपाय के रूप में वर्ष 2005-06 से वन ग्रामों के विकास हेतु कार्यक्रम कार्यान्वित किया था। इस कार्यक्रम को 'जनजातीय उप-योजना को विशिष्ट केन्द्रीय सहायता' नामक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के भाग के रूप में कार्यान्वित किया गया था। इस कार्यक्रम में मूलभूत सेवाओं और सुविधाओं, नामश: संपर्क मार्गों, स्वास्थ्य परिचर्या, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई, वर्षा-जल संचयन, पेयजल, स्वच्छता संबंधी कार्य, सामुदायिक सभागार आदि से संबंधित अवसंरचना कार्य और आय सृजन से संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं।

ग्राम विकास योजना के तहत वित्त पोषित किए गए घटकों को जनजाति कार्य मंत्रालय की अन्य स्कीमों, विशेष रूप से जनजाति उप-योजना को विशिष्ट केन्द्रीय सहायता' (एससीए टू टीएसपी) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदानों के तहत शामिल किया गया है, जहां अनुदानों में वृद्धि की गई है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, उक्त विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की वित्त पोषण आवश्यकताओं को मंत्रालय की अन्य स्कीमों के माध्यम से पूरा किया गया है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के तहत बजट अनुमान (बीई) और व्यय का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मंत्रालयों में जनजातीय उप-योजना (अब उप-स्कीम) को दिया गया समग्र योगदान अब तक 31919.51 करोड़ रूपये है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातियों के संकेन्द्रित विकास के लिए टीएसपी आबंटनों की केन्द्रीकृत निगरानी की गई है, सरकार द्वारा जनजातिय ग्रामों के विकास हेतु बजटीय आवश्यकताओं का विधिवत समाधान किया जाता है।

*****

.

अनुबंध-I

'वनग्राम' के संबंध में दिनांक 12.07.2019 को उत्तर के लिए श्री कनकमल कटारा द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3319 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वन ग्रामों की कुल संख्या दर्शाता हुआ विवरण

क्र. सं.	**राज्य**	**गांवों की कुल संख्या**
1	असम	499
2	छत्तीसगढ़	425
3	गोवा	52
4	गुजरात	196
5	हिमाचल प्रदेश	0
6	झारखंड	24
7	मध्य प्रदेश	893
8	मेघालय	23
9	मिजोरम	85
10	ओडिशा	20
11	त्रिपुरा	62
12	उत्तराखंड	61
13	उत्तर प्रदेश	13
14	पश्चिम बंगाल	170
15	लक्षद्वीप	0
क	**उप कुल**	**2,513**
निम्नलिखित राज्यों में केवल कोर/महत्वपूर्ण बाघ रिजर्व क्षेत्रों के ग्रामों की संख्या के लिए उपलब्ध सूचना		
क्र. सं.	**राज्य**	**कोर/महत्वपूर्ण बाघ रिजर्व क्षेत्रों के भीतर ग्रामों की संख्या**
16	आंध्र प्रदेश	28
17	अरुणाचल प्रदेश	3
18	बिहार	0
19	कर्नाटक	102
20	केरल	0
21	महाराष्ट्र	33
22	राजस्थान	82
23	तमिलनाडु	49
24	तेलंगाना	37
ख	**उप कुल**	**3,34**
कुल योग (क+ख) =		**2,847**

अनुबंध-II

'वनग्राम' के संबंध में दिनांक 12.07.2019 को उत्तर के लिए श्री कनकमल कटारा द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3319 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत जारी की गई/उपयोग मे लाई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	**राज्य**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18 (अखिल भारतीय बाघ आकलन सहित)**	**2018-19 (28.1.2019 तक)**
		जारी/उपयोग में लाई गई	**जारी/उपयोग में लाई गई**	**जारी/उपयोग में लाई गई**	**जारी/उपयोग में लाई गई**
1	आंध्र प्रदेश	0.00000	173.48600	232.49	162.18
2	अरुणाचल प्रदेश	429.53900	597.28900	671.0222	710.11
3	असम	1425.41300	1510.92100	2309.608	1887.23
4	बिहार	223.55051	487.83800	552.273	570.89
5	छत्तीसगढ़	398.94500	626.56700	1315.076	479.50
6	झारखंड	47.98470	323.76200	338.62	293.45
7	कर्नाटक	1378.19440	3203.61440	2308.846	1784.86
8	केरल	396.60100	780.23100	636.412	520.45
9	मध्य प्रदेश	1421.00700	12885.59790	11455.457	5151.63
10	महाराष्ट्र	3923.07890	8229.71800	6524.165	10392.76
11	मिजोरम	187.98450	301.54800	215.316	134.44
12	ओडिशा	544.80052	917.16700	1646.127	818.35
13	राजस्थान	1257.80800	381.30200	773.09	598.07
14	तमिलनाडु	1950.17128	949.86900	2551.058	1142.62
15	तेलंगाना	214.81920	239.25900	350.416	1036.22
16	उत्तराखंड	683.98538	1023.40300	1187.439	1112.34
17	उत्तर प्रदेश	624.54630	1057.04500	820.074	621.73
18	पश्चिम बंगाल	376.50781	536.14070	597.5808	398.07
19	गोवा	0.00	0.00	10.88	0.00
20	मणिपुर	0.00	0.00	2.70	0.00
21	नगालैंड	0.00	0.00	1.35	24.86
	कुल	**15484.9365**	**34224.7580**	**34500.000**	**27839.46**

अनुबंध-III

'वनग्राम' के संबंध में दिनांक 12.07.2019 को उत्तर के लिए श्री कनकमल कटारा द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3319 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2017-18 के दौरान वन ग्रामों के विकास हेतु कार्यक्रम के तहत बजट अनुमान और व्यय का ब्यौरा

एससीए से टीएसपी तक के तहत अनुदान

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	व्यय
1.	2014-15	1200.00	1039.61
2.	2015-16	1250.00	1132.17
3.	2016-17	1250.00	1195.02
4.	2017-18	1350.00	1166.66 (12.03.2018 तक स्वीकृत की गई)

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	व्यय
1.	2014-15	1317.00	1132.64
2.	2015-16	1367.00 (संशोधित अनुमान 1392.28)	1392.26
3.	2016-17	1400.00	1265.81
4.	2017-18	1500.00	1374.44 (12.03.2018 तक)

*****